UPUN010033282026

न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उन्नाव

जमानत प्रार्थना-पत्र सं०-614/2026

गंगादीन पुत्र राम चरन लोध निवासी ग्राम बाबूखेड़ा मजरा मगरायर थाना बीघापुर जिला उन्नाव।

----------अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), उन्नाव।

----------विपक्षी

11.06.2026:-

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र **गंगादीन** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या-**125/2026**, अन्तर्गत धारा **108 बी०एन०एस०,** थाना- **बीघापुर**, जिला उन्नाव, के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया है।

जमानत प्रार्थना पत्र में अभियुक्त के द्वारा यह कथन किया गया है कि अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके पूर्व सेशन न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में न तो कोई जमानत प्रार्थना पत्र दिया है और न ही सेशन न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है।

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि वादी मुकदमा कन्धई लाल की पुत्री आरती की शादी लगभग 18 वर्ष पूर्व गंगादीन के साथ हुआ था। वह अपने पति के साथ अकेली रहती थी। उसके कोई औलाद नहीं थी। आरती का पति किसी बात को लेकर उसकी पुत्री को आये दिन मारता पीटता था। गाँव के लोगों ने उसे बताया कि उसके किसी दूसरी औरत से भी सम्बन्ध हैं। इसी बात को लेकर दिनांक 11.05.2026 को समय सुबह करीब 5 बजे गंगादीन ने उसे बताया कि उसकी लड़की मर गई है। जब उसने गाँव पुहँचकर जानकारी की तो पता चला कि रात भर उसकी पुत्री को मारा पीटा था तथा जहर देकर मार दिया।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में मूल तर्क यह लिये गए हैं कि, प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, उसे उक्त वाद में झूठा व फर्जी फँसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से राय मशविरे के आधार पर दर्ज कराया गयी है। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। उसकी शादी सन 2007 में लगभग 19 वर्ष पहले मृतका के साथ हुई थी। वह अपने पिता व माता की मृत्यु के बाद पत्नी के साथ अकेले राजी खुशी रहता था। उसके कोई सन्तान नहीं थी। जिसकी वजह से वह अत्यंत परेशान व आहत रहती थी। जिसके चलते उसने दिनांक 11.05.2026 को जब वह घर पर नहीं था तो उसने आत्महत्या कर ली। डाक्टरी परीक्षण व एफ०आई०आर० में विरोधाभाष है। वह एक गरीब व असहाय व अकेला व्यक्ति है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी दिनांक 12.05.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। उक्त आधारों पर जमानत प्रदान किये जाने की याचना की है।

जमानत प्रार्थना-पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया है कि निर्दोष है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से राय मशविरे के आधार पर दर्ज कराया गयी है। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। उसकी शादी सन 2007 में लगभग 19 वर्ष पहले मृतका के साथ हुई थी। वह अपने पिता व माता की मृत्यु के बाद पत्नी के साथ अकेले राजी खुशी रहता था। उसके कोई सन्तान नहीं थी। जिसकी वजह से वह अत्यंत परेशान व आहत रहती थी। वह घटना के दिनांक 11.05.2026 को घर पर नहीं था तभी उसने आत्महत्या कर ली। वह एक गरीब व असहाय व अकेला व्यक्ति है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी दिनांक 12.05.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। अतः उसके द्वारा जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी है।

अभियोजन पक्ष की ओर से तर्क किया गया है कि मृतका के कोई संतान न होने के कारण

Digitally signed by ANIL KUMAR VERMA
Date: 2026.06.12 15:56:51 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अभियुक्त उसको मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता था व उसके साथ मारपीट करता था। जिससे क्षुब्ध होकर उसने आत्महत्या कर ली। विवेचक ने स्वतंत्र साक्षी जंगली प्रसाद का बयान अन्तर्गत धारा 180 बी०एन०एस०एस० लिया है जिसमें उसने कथन किया है कि गंगादीन उसके गाँव के ही हैं। उसकी शादी 20 वर्ष पूर्व हुई थी। उसके अभीतक कोई संतान नहीं हुई थी। जिसकारण गंगादीन का उसकी पत्नी से मनमुटाव रहता था। दिनांक 10.05.2026 को गंगादीन का आरती से झगड़ा भी हुआ था, जिससे नाराज होकर गंगादीन घर से बाहर निकल गया था। तभी आरती ने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतका के मृत्यु का कारण अनिश्चित बताया गया है और विसरा परीक्षण के लिए सुरक्षित किया गया है। अभियुक्त पर अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिये दुष्प्रेरित करने का गम्भीर आरोप है।

अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत निरस्त किये जाने का पर्याप्त आधार है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त गंगादीन द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र सं०-1395/2026 मुकदमा अपराध संख्या-125/2026, अन्तर्गत धारा 108 बी०एन०एस०, थाना- बीघापुर, जिला उन्नाव, निरस्त किया जाता है।

दिनांक-11.06.2026

(अनिल कुमार वर्मा-I)
सत्र न्यायाधीश, उन्नाव।
जे०ओ०कोड- यूपी6552

मधुर त्रिवेदी